

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 185/2023/ सरफैसी

एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय - एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई -400013 तथा शाखा कार्यालय - एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड 414-417 हवा महल रोड, सुभाष चौक, जयपुर-302002, राजस्थान।

बनाम

.....प्रार्थी

1. मैसर्स विनायक मिनकेम जरिये प्रोपराईटर श्री राजेश माहेश्वरी, पता-1/245, आर. एच. बी. कॉलोनी, प्रताप नगर, जी 1-54, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, सनवाड, उदयपुर-313001, राजस्थान।
2. श्री राजेश माहेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी, पता-1/245, आर. एच. बी. कॉलोनी, प्रताप नगर, जी 1-54, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, सनवाड, उदयपुर-313001, राजस्थान।
3. श्रीमती ज्योती माहेश्वरी पुत्र श्री ओम प्रकाश माहेश्वरी, पता-1/245, आर. एच. बी. कॉलोनी, प्रताप नगर, जी 1-54, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, सनवाड, उदयपुर-313001, राजस्थान।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित: श्री मनोज पंवार अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक...०८-०१-२५

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 84,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (प्लॉट संख्या-जी 1-54, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, सनवाड, खुशखेडा सनवाड, उदयपुर-313206 में स्थित है, जो कि मैसर्स विनायक मिनकेम जरिये प्रोपराईटर श्री राजेश माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 वर्ग मीटर है। जिसके पूर्व में प्लॉट संख्या जी-1-53 है, पश्चिम में रोड़ दक्षिण में प्लॉट संख्या जी-1-46 है व उत्तर में रोड़ है।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा



जिला कलक्टर  
उदयपुर

13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मग व्याज दिनांक 26.12.2022 तक 86,57,289.59/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भालने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 84,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 26.12.2022 तक 86,57,289.59/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (प्लॉट संख्या-जी 1-54, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, सनवाड, खुशखेडा सनवाड, उदयपुर-313208 में स्थित है, जो कि मैसर्स विनायक मिनकेन जरिये प्रोपराईटर श्री राजेश माहेश्वरी पुत्र श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1300 वर्ग मीटर है। जिसके पूर्व में प्लॉट संख्या जी-1-53 है, पश्चिम में रोड दक्षिण में प्लॉट संख्या जी-1-46 है व उत्तर में रोड है।) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर